

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-SM-PAP-2026-03682

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "KRISHNA SATTVAM PHASE-II", प्रमोटर-श्री सुनील कुमार तपारिया, पता-17, 425, नेमीचंद गली तेलघानी नाका चौक, रामसागर पारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" KRISHNA SATTVAM PHASE-II" पता-रायपुरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
11/06/2026	- प्रकरण प्रस्तुत । - अनावेदक श्री सुनील कुमार तपारिया संप्रवर्तक द्वारा भू-संपदा प्रोजेक्ट "KRISHNA SATTVAM PHASE-II" के पंजीयन के लिए प्राधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा-03 एवं धारा-04 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। - रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा के प्रतिवेदनानुसार अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन हेतु लंबित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। पंजीयन आदेश में स्पष्ट लेख किया जाये कि प्रोजेक्ट के विवरण में प्रमोटर द्वारा रेरा वेबसाईट पर स्पष्टीकरण अपलोड किया जाये कि फेस-1 में बने ही एस.टी.पी. का ही उपयोग फेस-2 के लिये किया जाये, ताकि आबंटितियों के लिये पूर्ण पारदर्शिता हो, इस शर्त के साथ रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन प्रोजेक्ट का पंजीयन किया जावे। - आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। - प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	